उपखण्ड अधिकारी उर्फ कलेक्टर खौपा, टोंक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

RS/2016/44

		नम्बर अहकाम हुक्म में ज
01/04/19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली आगे जवाब टोंट आपत्ति दिनांक 22/04/19 को पेश हो।	
22/04/19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। जवाब टोंट आपत्ति। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली आगे जवाब टोंट आपत्ति दिनांक 20/05/19 को पेश हो।	
20/05/19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में लंबित टोंक राजस्व न्यायालय द्वारा जारी अधिनियम 1955 की धारा 260 के अनुसार पूर्व जारी की गई भूमि पर किसी राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है। क्या वादी क्षेत्राधिकार से बाहर होने से डिक्री का पत्र लौटाया जाने की प्रार्थना है। पत्रावली जोसफ शुक्ला बनाम [illegible] में क्या [illegible] किया गया है।	